आपसे भी निवेदन है कि लेखकों के बारे में आज तक हमारी सरकार ने कोई चिंता नहीं की है। मैं यह चाहूंगी कि हमारा यह सदन एकमत होकर इस पर अपनी राय जाहिर करे और लेखकों के लिए हमें एक कल्याण कोष की स्थापना करनी चाहिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इनसे अपने आपको एसोसिएट करती हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): सारा सदन एसोसिएट करता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): आपने बहुत अच्छा विषय रखा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आगे नाम पुकारूं, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास कुल मिलाकर के 14 नाम शेष हैं और लगभग हमारे पास 25 मिनट हैं। अगर हम दो-दो मिनट में अपनी बात कह सकें तो अच्छा हो। Because brevity is a rare quality which Dr. Bapu Kaldate possesses very well. So, I would request you to be as brief as possible because there are other occasions to express yourself. So, Dr. Bapu Kaldate. *(Interruptions)* Yes, he will set an example, I am sure.

Need to Decentralise the UGC to avoid delay in giving grants to various Universities.

डा॰ बापू कालदाते (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विशेष उल्लेख की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जब 1956 में हुई थी, तब सिर्फ 35 विश्वविद्यालय देश में थे। आज 1993 की रिपोर्ट अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि आज हिन्दुस्तान में 155 विश्वविद्यालय हैं और 38 सम-विश्वविद्यालय हैं। इसका मतलब है कि करीब-करीब 200 विश्वविद्यालय देश में हैं। जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी, तब के काम और आज के काम में पांच गुना फर्क पड़ गया है। आज तीन लाख से ज्यादा शिक्षक इसमें सम्मिलित होते हैं। आज 7,200 महाविद्यालय है जिसमें से 4,200 को अनुदान दिया जाता है। जो 155 विश्वविद्यालय हैं इनमें से 110 विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है। बहुत बड़ी सूची है, लेकिन चूंकि आपने कहा है कि समय कम है इसलिए मैं इसको बहुत सीमित कहूंगा। आज इस आयोग के विविध कार्यों की सूची अगर आप देखें तो 28 मसले आते है, जहां यह अनुदान आयोग अनुदान देता रहता है। यहां उच्चतम शिक्षा से लेकर साक्षरता अभियान तक आयोग पैसा देता है। यहां एटॉनमस कालेज से लेकर ओपन यूनिवर्सिटी तक वह मदद करता है। यहां यूनिवर्सिटी टीचर्स से लेकर कालेज के टीचर्स को वह मदद करता है। यह सारा काम इतना बढ़ गया है कि इसकी वजह से जब 1986 में यहां नई शिक्षा नीति का सवाल उठा था, तब मैंने यह बात कही थी कि आपका जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है यह टॉप हैवी हो गया है। अगर वहां दफ्तर में जाएं, मैं जाता हूं कभी-कभी कुछ कामों के लिए, तो वहां दफ्तर में जाने के लिए जगह नहीं होती इतनी फाइलें वहां पड़ी हुई हैं। लोग कम हैं, सवाल बहुत पैदा होते हैं। कालेजों के लिए आप अनुदान देते हैं, उसके जवाब उन्हें नहीं मिलते। हर रोज यहां अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ के लोग, त्रिवेन्द्रम से लेकर नार्थ-ईस्ट तक के लोग, यहां आते हैं और हमने देखा है उनकी हालत को जैसे कोई बेगर्स हो, जैसे भीख मांगने के लिए आए हों और अनुदान आयोग उनके साथ कोई न्याय नहीं कर सकता है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन वहां कई मामले सालों से पड़े हुए हैं। देहातों में आप कहते हैं कि आपकी स्कीम मंजूर हो गई। मैं पैसे के जोर से ले लेता हूं, तैयार करता हूं, लेकिन आपकी अनुदान आयोग की जो शेष राशि है उसे मिलने में दो-दो साल लगते हैं, तो वहां काम नहीं हो रहा है। मैंने यह सुझाव दिया था कि यह जो केन्द्रीय अनुदान आयोग बना हुआ है, आप इसको विकेन्द्रित कर दीजिए, ठोस बना दीजिए। जहां तक नीति का सवाल है, अनुदान देने की नीति का सवाल है, वहां पर आप अनुदान-नीति एक दफा तय करें और नीचे के जो छोटे-छोटे हल्के हैं, जोन्स है - साउथ का बनाएं, मध्य का बनाएं, और ऐसे छोटे-छोटे जोन्स बनाकर आप उन्हें एग्जीक्यूटिव पावर्स, प्रशासकीय अधिकार दीजिए। ताकि यह जो हरदम, हर समय लोगों को रोज वहां जाना पड़ता है और उनका काम होता नहीं है। महीनों से, सालों से अनुदान आयोग में उनका काम होता नहीं है, पैसे मिलते नहीं हैं, लोगों की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। मेरा बिल्कुल ठोस सुझाव है कि इस विश्व विद्यालय अनुदान आयोग का विकेन्द्रीयकरण करें, केन्द्र नीति तय करें और उसका जो प्रशासन है उसके लिए आप जोंस बनाकर अनुदान के सारे कामों को सीधा और सरल बनाएं। धन्यवाद।

श्रीमती उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल (गुजरात): मैं भी अपने को जोड़ना चाहती हूं। मैं भी इसकी समिति

की मेंबर थी। इसकी जो ग्रांट्स कॉलेजों को मंजूर की गई, किसी को 7 करोड़, किसी को 8 करोड़, उसे दो साल हो गए, उसका आज तक एक भी पैसे का डिस्बर्समेंट पूरे देश में नहीं हुआ है। मैं चाहती हूं कि उसका डि-सेंट्रालाइजेशन हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री सतीश अग्रवाल): बहुत-बहुत धन्यवाद।

Recruitment Policy of Jammu and Kashmir Government

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मैं उन दुखी लोगों की आवाज एक बार फिर उठाना चाहता हूं, जो केवल इसलिए कि वे हिन्दू हैं, कश्मीर की घाटी से धकेलकर के बाहर निकाल दिए गए हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो जम्मू में या दिल्ली में और सारे देश भर में फैले हुए हैं जिनकी सेवाओं की, तकलीफों को अब तक सरकार आंख से ओझल करती रही है। मगर उसमें भी दुखद् स्थिति यह है कि ऐसे योग्य लोग जो कि सेवा करना चाहते हैं लेकिन उनकी भी सेवा करने देने की स्थिति सरकार पैदा नहीं होने देना चाहती है। जहां हजारों लोग कैम्पों में सड़ रहे हैं, भिखारियों के रूप में आकर बसे हुए हैं, उन्हीं के परिवार में से यदि कोई नौजवान किसी सेवा के लिए एप्लाई करता है और वह योग्य पाया जाता है तथा उसका सलेक्शन भी हो जाता है लेकिन फिर भी उसको नौकरी नहीं मिलती। कारण? उसको कहा जाता है कि — तुम, वैली में जाकर के नौकरी जोइन करो। जबकि सब जानते हैं कि वहां घाटी में जाकर कम से कम कोई हिन्दू वहां आराम से रह नहीं सकता। तो उसको नौकरी में सलेक्ट करने के बाद मजबूर करना कि वह वहां जाए, यह केवल एक प्रकार से अमानुषिक व्यवहार है। मेरा सरकार को यह सुझाव है कि जरा यह देखे कि ऐसे भी कुछ लोग हैं विशेष संप्रदाय के जो कि वैली में अगर कहीं जाएं तो उन्हें वह तकलीफ नहीं होगी जो कि किसी हिन्दू परिवार के आदमी को होती है। इसलिए प्रथम तो यह चाहिए कि समानान्तर स्थिति में यदि यहां का नौजवान जो वहां जाकर बस नहीं सकता तथा उस क्षेत्र का दूसरा नौजवान वहां जाकर बस सकता है और आराम से रह सकता है तो उसको ही वहां पोस्टिंग दी जाए।

श्रीमन्, एक दूसरी स्थिति और विचित्र है। हमारे गृह मंत्री महोदय सुन रहे हैं। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारी कर्मचारी हैं, वह ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में चले जाते हैं और उनकी हाजरी यहां पर दफ्तरों में मार्क की जाती है कि वे उपस्थित हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी, स्कूल के सरकारी अध्यापक जो पढ़ाते हैं वह पाकिस्तान ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं लेकिन वहां के मिले हुए वे अधिकारी उनकी प्रजेन्स अपने दफ्तर में, स्कूल में मार्क करते रहते हैं। एक तो वह लोग हैं जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर वापिस आकर नौकरी में काम करते हैं और दूसरी तरफ वह अभागा हिन्दू नौजवान है जो कि वहां परिवार से उखड़कर आया, यहां बसा, येनकेनप्रकारेण उन्होंने शिक्षा पूरी की, परीक्षा में बैठा, उत्तीर्ण हो गया, सलेक्ट हो गया लेकिन उसको कहा जाता है कि जाकर, वैली में जोइन करो, जबकि सब जानते हैं कि वह वहां जोइन नहीं कर सकता। तो सरकार को चाहिए कि अपना अमानवीय दृष्टिकोण विस्थापितों के बारे में बदलकर एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और जो लोग सलेक्ट हो जाते हैं उनको जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के बाहर ऐसे अन्य स्थानों पर कहीं पर नियुक्त करे, जहां पर वास्तव में वह नौकरी कर सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SATISH AGARWAL): Dr. Naunihal Singh. Dr. Sahib, You arc very expert in brevity.

Funding of Private Foreign Power Project by IDBI

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Thank you. Sir. On May 5, the House had discussed a Calling Attention Motion on 'Foreign Investment in Power Sector' and, in particular identified the Enron Company which is taking undue advantage of the liberalisation policy of the Government of India.

When another shocking news has come to the forefront, it is very urgent to bring it through you, Sir, to the notice of this august House. It is, perhaps, an irony that the State-owned Industrial Development Bank of India has been forced to agree to put in Rs. 1,500 crores in India's first private foreign power project of Enron's 2.8 billion dollars project. This is an irony which is heightened by the fact that the IDBI will not be participating in equity but will be funding virtually up to 75% of the project costs. Is this the entire idea of special incentives and sovereign guarantees